न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बेरमों (तेनुघाट)।

छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के अंतर्गत

परमिशन वाद संख्या 159 वर्ष 2022

आवेदक–महाबीर माँझी	क्रेता– पनवा देवी
ग्राम – आहरडीह टोला–पंदनाटाँड	ग्राम –आहरडीह टोला——
थाना–नावाडीह जिला–बोकारो	थाना –नावाडीह जिला– बोकारो

आदेश की क्र0 सं0 एवं तारीख 01	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ। 03
16/01/23		C.C. Issued 05/10/23

आदेश

यह वाद आवेदक– महाबीर मांझी पिता स्व0 सोबरन माँझी निवासी ग्राम आहरडीह टोला पन्दनाटाँड थाना–नावाडीह जिला–बोकारो द्वारा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 (1),(क) के अंतर्गत निम्नांकित जमीन, विवरण निम्नवतः–

मौजा	थाना न0	खाता न0	प्लॉट न0	कुल रकबा	बिक्री रकबा	भूमि दर्जा
आहरडीह	53	21	1358	39 डी0	19½ डी0	कृषि योग्य

को वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपये में क्रेता– पनवा देवी पति बाबुराम माँझी निवासी ग्राम आहरडीह सोखा थाना नावाडीह जिला – बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति हेतु समर्पित आवेदन के आधार पर आरम्भ किया गया तथा छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1),(क) के तहत आवेदन पत्र को पंजीकृत करते हुए आम सूचना निर्गत की गई, तथा इस कार्यालय के पत्रांक 74/रा0 दिनांक 02.02.2023 के माध्यम से अंचल अधिकारी, नावाडीह से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई।

निर्धारित अवधि तक किसी के द्वारा प्रस्तावित भूमि की अनुमति प्रस्ताव के विरूद्ध कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई। प्रस्तावित भूमि की बिक्री की अनुमति के संबंध में अंचल अधिकारी, नावाडीह के पत्रांक 58 दिनांक 09.05.2023 से वांछित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि:–

01. बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति की है जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। वे दोनों (बिक्रेता एवं क्रेता) ग्राम–आहरडीह सोखा थाना–नावाडीह जिला–बोकारो का निवासी हैं।
02. बिक्री की जाने वाली भूमि सर्वे खतियान में परदादा झरिया माँझी के नाम से दर्ज है तथा उसकी जमाबन्दी भी पंजी–II के पृष्ठ सं0 155/1 पर उन्हीं के नाम से कायम है एवं 2011–12 तक लगान रसीद है।
03. घरेलू बँटवारा के अनुसार विक्री वाली जमीन बिक्रेता के अंश की है।
04. प्रस्तावित भूमि भू हदबन्दी, भूदान, सैरात, वन भूमि, अधिग्रहण क्षेत्र, से बाहर है।

उनके द्वारा बिक्रेता को प्रस्तावित भूमि की बिक्री करने की अनुमति हेतु अनुशंसा के साथ प्रतिवेदन को अग्रसारित किया गया है।

दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। दोनों पक्षों का ब्यान दर्ज किया गया। बिक्रेता महावीर माँझी के द्वारा अपने ब्यान में बतलाया गया है कि आवेदनांकित जमीन उनके परदादा झरिया माँझी के नाम सर्वे खतियानी जमीन है। घरेलू बँटवारा के आधार पर बिक्री वाली जमीन उसके अंश की है, जिसे वे अपना आवश्यक घरेलू खर्च हेतु क्रेता के साथ बिक्री कर रहे हैं।

क्रेता का कहना है कि उन्होंने प्रस्तावित जमीन को देखी है। उक्त जमीन में कोई विवाद नहीं है, तथा वर्तमान में बिक्रेता के शान्ति पूर्ण दखल कब्जे में है।

उभय पक्ष अपने पक्ष में निम्नांकित कागजात/दस्तावेज प्रस्तुत करते हैं:–

01. बिक्रेता– झरिया माँझी के नाम सर्वे खतियान, सरकारी लगान रसीद जाति प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति।

02. क्रेता– स्वयं के नाम जाति प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड की छायाप्रति ।

दोनों पक्षों का ब्यान सुनने, उनके द्वारा समर्पित कागजातों एवं अंचल अधिकारी नावाडीह से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि बिक्रेता एवं क्रेता दोनों संताल जाति के हैं जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं तथा एक ही ग्राम थाना एवं जिलान्तर्गत निवास करने वाले हैं। आवेदित भूमि बिक्रेता के पूर्वज के नाम सर्वे खतियानी एवं बिक्रेता के अंश की जमीन है, जिसे वे आवश्यकता वश बेच रहे हैं।

अतः आवेदक– महाबीर मांझी पिता स्व0 सोबरन माँझी निवासी ग्राम आहरडीह टोला पन्दनाटाँड थाना–नावाडीह जिला–बोकारो को निम्नांकित भूमि :–

मौजा	खाता न0	प्लॉट न 0	कुल रकबा	बिकी रकबा	उत्तर सीमा	दक्षिण सीमा	पूरब सीमा	पश्चिम सीमा
आहरडीह 53	21	1358	39 डी0	19½ डी0	चुनु माँझी वो गुरदयाल माँझी	गोविन्द माँझी	नीज बिक्रेता	रास्ता
				19½ डी0	***(उन्नीस पूर्णांक एक बटा दो)डीस्मिल मात्र।***			

मो0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार) रूपए या जिला अवर निबंधक बोकारो द्वारा निर्धारित नवीनतम भूमि मूल्यांकित राशि में जो अधिक हो, की दर से क्रेता– पनवा देवी पति बाबुराम माँझी निवासी ग्राम आहरडीह सोखा थाना नावाडीह जिला–बोकारो के साथ बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

इसके साथ ही इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। इस आदेश से उभय पक्षों को अवगत करावें।

लेखापित एवं संशोधित

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
बेरमों (तेनुघाट)।

Digitally signed by SADANAND MAHTO
Date: 2024.09.09 11:43:17 +05:30
Location: 192.168.1.3